# प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन अध्याय 1 एवं 2 में, 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोजन लेखाओं की जांच से उठने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। हरियाणा सरकार से सूचना, जहां आवश्यक थी, प्राप्त कर ली गई है।

3. ''वित्तीय रिपोर्टिंग'' पर अध्याय 3 चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के साथ राज्य सरकार के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति को दर्शाता है।

4. विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा संपादन लेखापरीक्षा के परिणामों तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से प्रकट होने वाली अभ्युक्तियों से समायुक्त प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों से समायुक्त प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।